[illegible] निर्णय

अप्रार्थी पक्ष [illegible]। प्रार्थी की ओर से पेशकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। पेशकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी [illegible] पुत्र श्री [illegible] जाति मेहतर निवासी [illegible] को ग्राम [illegible] में स्थित खसरा नम्बर 426/7/4 रकबा 5 बीघा भूमि दिनांक 16. [illegible] को आवंटन की गई थी। जिस पर आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पूर्णत पालना की जा रही है, साथ ही अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन के विरुद्ध माO न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन आदेश की प्रति ही संलग्न नहीं की है, साथ ही अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर सर्वप्रथम पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं की है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि आवंटी द्वारा किस प्रकार आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटि पूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] में दर्ज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी